12/7/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 22/7/25 को पेश हो।
22/7/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उपस्थित अधि० उभयपक्ष की पुनः बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली के साथ उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रा० पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय लिखाया जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
	उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री विष्णु बंसल (आर.ए.एस)
वाद कमांकः–11/2022

रघुनाथ पुत्र नाहरसिंह जाति गुर्जर निवासी बारहमाफी तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0।

.....प्रार्थी/सायल

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये
   1. तहसीलदार, तहसील उच्चैन भरतपुर।
   2. श्रीमान भू–प्रबन्ध अधिकारी महो0 भरतपुर राज0।
3. पूरनदेई पत्नि छीतरिया जाति कोली निवासी सिगनिया तहसील बयाना, भरतपुर।
4. प्रेमसिंह पुत्र वदनसिंह जाति महतर निवासी बारहमाफी तहसील उच्चैन।
5. श्रीराम पुत्र छीतरिया जाति कोली निवासी सिंगनिया तहसील बयाना, भरतपुर।
6. सतीश कुमार पुत्र छीतरिया जाति कोली निवासी सिंगनिया तहसील बयाना, भरतपुर।
7. साहबसिंह पुत्र नत्थीसिंह जाति धोबी निवासी बहरावली तहसील उच्चैन, भरतपुर।
8. रामकेश पुत्र रमेशचन्द जाति खटीक निवासी निठार तहसील वैर, भरतपुर।

.....असल अप्रार्थीगण

9. अमृतकौर(मृतक)

9/1 महेन्द्रसिंह पुत्र नाहरसिंह जाति गूजर निवासी बारहमाफी तहसील उच्चैन
9/2 विजयसिंह
9/3 अजयसिंह पुत्रान महेन्द्रसिंह जातियान गूर्जर निवासी बारहमाफी तह0 उच्चैन
9/4 बर्फीदेवी पत्नी अमीर सिंह
9/5 सचिन
9/6 आकाश पुत्रान स्व0 अमीरसिंह जातियान गुर्जर निवासी बारहमाफी तह0 उच्चैन।
9/7 वासदेव पुत्र गिरार्ज
9/8 कौशल पुत्र वासदेव
9/9 निक्की पुत्री वासदेव जाति गुर्जर निवासी गढीजालिमसिंह तह0 भरतपुर
9/10 राजेशदेवी पुत्री अमृतकौर पत्नी हरवीर जाति गूर्जर निवासी गढीजालिमसिंह तह0 भरतपुर जिला भरतपुर राज0।

10. महेन्द्रसिंह पुत्र नाहरसिंह जाति गूर्जर निवासी बाहरमाफी, भरतपुर।
11. विजेन्द्रकौर पत्नी रघुनाथसिंह जाति गूर्जर निवासी बारहमाफी जिला भरतपुर राज0।

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

12. सूरज पुत्र रघुनाथसिंह जाति गूर्जर निवासी वारहमाफी तहसील उच्चैन भरतपुर।

.....तरतीवी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए.।

उपस्थितिः–

1. श्री गजेन्द्र पंचौली एडवोकेट प्रार्थी
2. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः– 22.07.2024

प्रार्थी के द्वारा यह प्रार्थन पत्र भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 198 रकवा 5.67है0 वाकै ग्राम रूंध खरका तहसील उच्चैन में स्थित है पूर्व में उक्त खसरा नम्बर 186/37 रकवा 35 वीघा 1 विस्वा था जिसमें से वादी 1/4 हिस्से का खातेदार था तथा अन्य कृषि भूमि के वादी के परिवारीजन जो कि तरतीवी प्रतिवादीगण है खातेदार थे चुंकि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा किये गये सैटिलमेन्ट से पूर्व उक्त नम्बर का एक ही नजरी नक्शा बना हुआ था जो कि 135 वीघा 1 विस्वा का था जो कि 37 खसरा नम्बर के नाम से था जिसमें काफी खातेदार थे तथा असल प्रतिवादीगण भी खातेदार थे। सैटिलमेन्ट के बाद उक्त आराजी के कई खसरा नम्बर वना दिये गये वादी व उसके परिवारीजनों की कृषि भूमि का एक ही खसरा नम्बर 198 रकवा 5.67है0 का वना दिया तथा उसमें मुझ वादी का कब्जा व मौका बदल दिया तरतीवी प्रतिवादीगण का कब्जा तो सही था पर वादी का कब्जा जहां था वह अलग खसरा नम्बर 203/0.81, 204/0.97है0 का वना दिया जो कि असल प्रतिवादीगण के नाम है लेकिन इन नम्बरों वाली जगह पर असल प्रतिवादीगण का कब्जा ना होकर मुझ वादी का कब्जा है। जो नये नक्शे में खसरा नम्बर 198 वनाया गया है उसमें उत्तर पश्चिम के हिस्से में जो तरतीवी प्रतिवादीगण का है उसमें कुछ जगह जाटवों का कब्जा व काश्त है तथा जो सैटिलमैन्ट का नक्शा वनाया है वह गलत है क्योंकि वह मुझ वादी का कब्जा व काश्त हमेशा से रहा है वह मुझ वादी के खसरा नम्बर 203 व 204 वना दिये गये है जो कि मौके के विपरीत है क्योंकि इन जगहों पर मुझ वादी का कब्जा व काश्त हैं चूंकि वादी के कब्जे पर असल प्रतिवादीगण जो कि खसरा नम्बर 203 व 204 है, उन पर जोर जवरदस्ती से व लठ्ठ की ताकत से कब्जा करने को उतारू हैं इसलिए उनका नक्शे में से उन नम्बरों को हटाया जाना व खसरा नम्बर 198 का भाग वताया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इस बावत् वादी को असल प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 24.02.2022 को धमकी देने पर जानकारी हुई तब वादी ने दिनांक 25.02.2022 को नकल लेने पर जानकारी हुई तो वादी ने तहसीलदार साहब से निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि सक्षम अदालत से आदेश करा कर लाने को कहा

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 203 व 204 की जगह वादी का खसरा नम्बर 198 किया जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 लगा0 7 की ओर से श्री सन्तोष बंसल एड0 ने वकालतनामा पेश किया एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। दिनांक 4.07.2022 को प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 7 ने राजीनामा पेश किया। दिनांक 13.12.2022 को उक्त प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास से प्राप्त हुआ एवं प्रार्थी की ओर से श्री गजेन्द्र पंचौली एड0 ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 8 को दिनांक 13.06.2023 को जरिये प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी मुकदमे में पक्षकार बनाया गया एवं अप्रार्थी संख्या 8 की ओर से श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट उपस्थित हुये। अप्रार्थी संख्या 9 की ओर से श्री संजय कुमार एड0 उपस्थित हुये। प्रार्थी रामकिशन ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया जो वाद सुनवाई खारिज किया गया। अप्रार्थी संख्या 9 के वारिसान की ओर से श्री ज्ञानेन्द्र पंचौली एडवोकेट उपस्थित हुये। दिनांक 08.05.2024 को तहसीलदार उच्चैन से जवाब प्राप्त हुआ। दिनांक 26.06.2024 को उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री गजेन्द्र पंचौली ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया है कि अप्रार्थी संख्या 3 लगा0 7 के द्वारा जवाब पेश करने के बाद अप्रार्थी संख्या 7 ने राजीनामा भी पेश किया है जिसके साथ शपथ पत्र भी पेश है उक्त राजीनामा में अप्रार्थी संख्या 7 को खसरा नम्बर 203,204 के स्थान पर अगर खसरा नम्बर 198 किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है एवं अप्रार्थी संख्या 4 ने उक्त प्रकरण में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि उन्होंने उक्त आराजी किसी अन्य व्यक्ति से खरीद की है एवं हमारा कभी भी मौके पर कब्जा नहीं रहा है। अप्रार्थी संख्या 3 लगा0 7 ने मुझे कब्जे से बेदखल करने के लिये स्थगन के बाबजूद भी विवादित आराजी का दानपत्र रामकेश पुत्र रमेशचंद जाति खटीक के नाम कर दिया प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 203,204 के स्थान पर खसरा नम्बर 198 नक्शे में तरमीम किये जाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी संख्या 8 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चौधरी ने अपनी बहस में अवगत कराया की अप्रार्थी संख्या 9,10,11,12 प्रार्थी के परिवारीजन ही है जो कि खसरा नम्बर 198 रकवा 35 बीघा 01 विस्वा के सहखातेदार काश्तकार है एवं इनका रकवा 35 बीघा 01 विस्वा ही बनता है जबकि असल अप्रार्थी संख्या 8 खसरा नम्बर 203 व 204 का खातेदार काश्तकार है जिनका रकवा मुताविक रिकार्ड सही बैठता है जिसमें किसी दुरस्ती की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के जरिये खसरा नम्बर 203,204 के स्थान पर खसरा नम्बर 198 करवाना चाहता है जबकि धारा 136 का नक्शा दुरस्ती से कोई संबंध नहीं है धारा 136 एक संक्षिप्त प्रकिया है जिसमें प्रार्थी द्वारा चाही गई दादरसी प्रार्थी को प्रदान नहीं की जा सकती है। धारा 136 के तहत खसरा नम्बर 198 के दो हिस्से नहीं किये जा सकते प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया प्रार्थना पत्र जबाव प्रार्थना पत्र, जबाव तहसीलदार एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड का

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

अवलोकन किया गया। धारा 136 के तहत रिकार्ड के इन्द्राज पुराने रिकार्ड के आधार पर दुरूस्त किये जाते है जबकि प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र में धारा 136 के तहत दो जगह खातेदारी अधिकार चाहता है जो कि धारा 136 के तहत दिया जाना सम्भव नहीं है। मेरे विनम्र मत में प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर उभयपक्ष की उपस्थिति में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

विष्णु बंसल(आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन,भरतपुर